संख्या: 10/2021/340/12-2-2021-बजट.2/2010

प्रेषक,

राधेश्याम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 09 फरवरी, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि - कर्म पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: एस0एफ0 2373-टी0/4401-बजट/2020-21 दिनांक 15 जनवरी, 2021, शासनादेश संख्या: 48/2020/1940/12-2-2020-बजट.2/2010 दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 01/2021/07/12-2-2021-बजट.2/2010 दिनांक 01 जनवरी, 2021 के क्रम में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0401-खाद्यान्न/ दलहन/ तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति तथा 0402-बोरियों की लागत प्रासंगिक व्यय-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में प्राविधानित धनराशि 26400.00 लाख के सापेक्ष रूपये 8300.00 लाख (रूपये तिरासी करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न विवणानुसार श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री एवं क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुश्रवण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(2) इन बीजों की बिक्री के पश्चात प्राप्त धनराशि का नियमानुसार राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे मद में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो तो ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा की जाएगी।

(8) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, अत: वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेश का पालन प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(10) वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा अन्य संगत शासनादेशों की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

संख्या: 10/2021/340(1)/12-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, फैजाबाद रोड, महानगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3/ गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या:10/2021/340/12-2-2021-बजट.2/2010 दिनांक 09 फरवरी, 2021

का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/योजना का नाम/मानक मद	वर्ष 2020-21 में प्राविधान	निर्गत की जा रही धनराशि
अनुदान संख्या-11 4401-फसल कृषि- कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0401-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	26000.00	8000.00
4401-फसल कृषि- कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0402-बोरियों की लागत प्रासंगिक व्यय 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	400.00	300.00

(रूपये तिरासी करोड़ मात्र)

(राधेश्याम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।